[2019] 2 उम. नि. प. 464

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

बनाम

वीनस एलॉय प्राइवेट लिमिटेड

5 फरवरी, 2019

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) – धारा 2(9) – कर्मचारी – कंपनी के निदेशक को संदत्त पारिश्रमिक की बाबत अभिदाय न किया जाना – कंपनी का कोई निदेशक, जो उसे समनुदेशित किए गए कार्यों के निर्वहन – के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करता है, अधिनियम के अधीन कर्मचारी होगा और कंपनी को उस पारिश्रमिक के संबंध में अभिदाय करना होगा ।

प्रत्यर्थी-कंपनी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आती थी और वह अपने कुछ कर्मचारियों को संदत्त की गई मजदूरी के संदर्भ में अभिदाय की रकम जमा करा रही थी । तथापि, अपीलार्थी-कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किए गए एक निरीक्षण में यह पाया गया था कि प्रत्यर्थी कंपनी ने निदेशकों को संदत्त किए गए पारिश्रमिक की बाबत अभिदाय नहीं किया था । अपीलार्थी-निगम ने प्रत्यर्थी से निदेशकों को संदत्त किए गए पारिश्रमिक के संबंध में अभिदाय का संदाय करने की मांग की । प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा ऐसी मांग को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 75 के अधीन आवेदन फाइल करके प्रश्नगत किया गया, जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय द्वारा विचार किया गया और उसे विनिश्चित किया गया । कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि दोनों पक्षकारों ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है और केवल तर्कों के आधार पर मामले का निपटारा करने की ईप्सा की थी । पक्षकारों ने कुछ उद्धरणों के प्रतिनिर्देश किया किन्तु सारतः दोनों पक्षकारों ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम एपेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वाले मामले में इस न्यायालय के

विनिश्चय का अवलंब लिया । कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उक्त मामले में, प्रबंध निदेशक के बारे में यह पाया गया था कि वह कुछ विशेष कार्य कर रहा था किन्तु इस संबंध में कोई दृष्टांत नहीं था कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंध निदेशकों द्वारा प्राप्त की गई रकम को लागू होते थे और इसकी बजाय यह दृष्टिकोण अपनाया कि प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टांत इस आशय के थे कि निदेशक कर्मचारियों के प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं । अतः, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में मत व्यक्त करते हुए, उपर्युक्त आदेश को शून्य और अनुचित घोषित कर दिया । अपीलार्थी-निगम द्वारा उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 82 के अधीन फाइल की गई अपील में, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी-स्थापन के निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) के अधीन यथा-परिभाषित "कर्मचारी" के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आते हैं और अपील खारिज कर दी । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी निगम ने अपने आक्षेपित आदेश में विनिर्दिष्ट रूप से यह प्राख्यान किया है कि कंपनी के निदेशकों को 3,000/- रुपए प्रति मास की दर पर पारिश्रमिक का संदाय किया जा सकता था और वे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत आते थे और इसलिए उन्हें संदत्त की गई रकम के संबंध में अभिदाय संदेय था । आश्चर्यजनक रूप से, प्रत्यर्थी कंपनी ने, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 75 के अधीन कार्यवाहियों के रूप में उपर्युक्त आदेश को चुनौती देने की ईप्सा करते समय न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य पेश न करने का विकल्प अपनाया । अतः, अपीलार्थी-निगम की ओर से अपने आदेश में जिन तथ्यों पर बल दिया गया है, उनका खंडन करने के लिए अभिलेख पर कोई बात नहीं है बल्कि उक्त आदेश में किए गए तथ्यात्मक प्राख्यान अखंडनीय रहे । प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा उस आदेश को केवल इस दलील के आधार पर

प्रश्नगत किया गया था कि निदेशक "कर्मचारी" प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं किन्तु यह दर्शित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि उसके निदेशकों को संदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (22) द्वारा समनुदेशित अर्थान्वयन के अनुसार "मजदूरी" के कार्यक्षेत्र के भीतर कैसे और क्यों नहीं आएगा ? कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने एपेक्स इंजीनियरिंग (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को केवल इस तथ्य के प्रतिनिर्देश से प्रभेदित करने का सरसरी प्रयास किया कि उस मामले में प्रबंध निदेशक द्वारा रकम प्राप्त की जा रही थी । दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के उक्त विनिश्चय को अनदेखा कर दिया और केवल बम्बई उच्च न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया हालांकि बम्बई उच्च न्यायालय के निर्दिष्ट विनिश्चयों में की गई प्रतिपादनाओं को एपेक्स इंजीनियरिंग (उपर्युक्त) वाले विनिश्चय द्वारा प्रभावी रूप से उलट दिया गया है जहां इस न्यायालय ने निश्चित निबंधनों में यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने यह मत अपनाकर गलती की थी कि कंपनी का प्रबंध निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(9) के अर्थान्तर्गत कर्मचारी नहीं था । उक्त विनिश्चय प्रस्तुत मामले को प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने यह उपधारित करके गलती की है कि किसी कंपनी का ऐसा निदेशक, जो उसे सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रयोजनार्थ कर्मचारी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ सकेगा । अपीलार्थी-निगम द्वारा जारी किए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था । (पैरा 13 और 14)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010)11 एस. सी. सी. 553 : **सारस्वत फिल्म्स** बनाम **प्रादेशिक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, त्रिचूर** ;	6,10

[1998] (1998) 1 एस. सी. सी. 86 =
1997(77) एफ. एल. आर. 878 =
एम.एच.एल.आर. 1990 खंड 2, पृष्ठ 850 :
कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम 4,5,6,
एपेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ; 11,12,14

[1995] एम.एच.एल.जे. 1995 खंड 2, पृष्ठ 69 :
साकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम
कर्मचारी राज्य बीमा निगम । 5

सिविल अपीली अधिकारिता : 2019 की सिविल अपील सं. 1464.

2006 की सिविल प्रकीर्ण अपील सं. 1213 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ के तारीख 17 फरवरी, 2014 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री महेश श्रीवास्तव, वैभव मनु श्रीवास्तव और पी. एन. पुरी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री दुष्यंत पराशर

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी ने दिया ।

न्या. महेश्वरी – इजाजत दी जाती है ।

2. 2006 की प्रकीर्ण अपील सं. 1213 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 17 फरवरी, 2014 के निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर की गई इस अपील में अवधारणार्थ उद्भूत होने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि प्रत्यर्थी-कंपनी के वे निदेशक, जो पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2 की उपधारा (9) के अधीन "कर्मचारी" के कार्यक्षेत्र के भीतर आते हैं अथवा नहीं ?

3. संक्षेप में, मामले के सुसंगत पृष्ठभूमिक पहलू ये हैं कि प्रत्यर्थी-कंपनी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आती थी और वह अपने कुछ कर्मचारियों को संदत्त की गई मजदूरी के संदर्भ में अभिदाय

की रकम जमा करा रही थी । तथापि, अपीलार्थी-कर्मचारी राज्य बीमा निगम (संक्षेप में निगम) द्वारा किए गए एक निरीक्षण में यह पाया गया था कि प्रत्यर्थी कंपनी ने निदेशकों को संदत्त किए गए पारिश्रमिक की बाबत अभिदाय नहीं किया था । प्रत्यर्थी-कंपनी के दायित्व के संबंध में पत्रादि का आदान-प्रदान हुआ था और अंततः अपीलार्थी-निगम के उप-निदेशक ने तारीख 6 अप्रैल, 2005 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी से निदेशकों को संदत्त किए गए पारिश्रमिक के संबंध में अभिदाय का संदाय करने की मांग की । प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा ऐसी मांग को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 75 के अधीन आवेदन फाइल करके (2005 का मामला सं. 171) प्रश्नगत किया गया, जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय, इंदौर (संक्षेप में कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय) द्वारा विचार किया गया और उसे तारीख 24 दिसम्बर, 2005 के आदेश द्वारा विनिश्चित किया गया ।

4. कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि दोनों पक्षकारों ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है और केवल तर्कों के आधार पर मामले का निपटारा करने की ईप्सा की थी । पक्षकारों ने कुछ उद्धरणों के प्रतिनिर्देश किया किन्तु सारतः दोनों पक्षकारों ने **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** बनाम **एपेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया । कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उक्त मामले में, प्रबंध निदेशक के बारे में यह पाया गया था कि वह कुछ विशेष कार्य कर रहा था किन्तु इस संबंध में कोई दृष्टांत नहीं था कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंध निदेशकों द्वारा प्राप्त की गई रकम को लागू होते थे और इसकी बजाय यह दृष्टिकोण अपनाया कि प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टांत इस आशय के थे कि निदेशक कर्मचारियों के प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं । अतः, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में मत व्यक्त करते हुए, तारीख 6 अप्रैल, 2005 के उपर्युक्त आदेश को शून्य और अनुचित घोषित कर दिया :-

---

[1] (1998) 1 एस. सी. सी. 86 = 1997(77) एफ. एल. आर. 878 = एम.एच.एल.आर. 1990 खंड 2, पृष्ठ 850.

"5.... मैने मामले में प्रस्तुत किए गए उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत पर विचार किया है । उस दृष्टांत का, जिस पर दोनों पक्षकारों ने अपने मतानुसार विश्वास व्यक्त किया, न्यायनिर्णयन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है । इसके परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि प्रबंध निदेशक कुछ विशिष्ट कार्य करता है । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंध उस संदाय को लागू होते हैं जो कि उसे विशिष्ट और अतिरिक्त कार्यों के लिए किया जाता है । इस मामले में प्रबंध निदेशक द्वारा रकम प्राप्त करने के संबंध में कोई विवाद नहीं है किन्तु निदेशकों द्वारा रकम प्राप्त करने के संबंध में विवाद है । इस मामले में प्रस्तुत किए गए किसी भी न्यायिक दृष्टांत में ऐसा कोई न्यायिक सिद्धांत स्थापित नहीं किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंध निदेशकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली रकम को लागू होते हैं, दूसरी ओर, वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टांत से यह प्रकट होता है कि निदेशकों द्वारा प्राप्त की गई कोई भी रकम वेतन के प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आती है और न ही निदेशक कर्मचारी के प्रवर्ग के अंतर्गत आते हैं । अतः, उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी द्वारा पारित तारीख 6 अप्रैल, 2005 का आदेश शून्य और अनुचित साबित होता है ।"

5. अपीलार्थी-निगम द्वारा तारीख 24 दिसम्बर, 2005 के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 82 के अधीन फाइल की गई अपील में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ ने, **साकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **कर्मचारी राज्य बीमा निगम**[1] वाले मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के विनिश्चय और **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** बनाम **एपेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड**[2] वाले मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के एक अन्य विनिश्चय का

---

[1] एम.एच.एल.जे. 1995 खंड 2, पृष्ठ 69.

[2] (1998) 1 एस. सी. सी. 86 = 1997(77) एफ. एल. आर. 878 = एम.एच.एल.आर. 1990 खंड 2, पृष्ठ 850.

अवलंब लेते समय यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी-स्थापन के निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) के अधीन यथा-परिभाषित "कर्मचारी" के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आते हैं और निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां करते हुए अपील खारिज कर दी :-

> "10. उपर्युक्त बातों पर सम्यक् रूप से विचार करने पर और बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह मत है कि प्रत्यर्थी-स्थापन के निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(9) के अधीन यथा-परिभाषित कर्मचारी के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आते हैं । विद्वान न्यायालय ने तारीख 6 अप्रैल, 2005 के आदेश को अपास्त करके कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है ।"

6. उपर्युक्त निर्णय को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी-निगम के विद्वान् काउन्सेल ने **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** बनाम **एपेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का बलपूर्वक अवलंब लेते समय यह तर्क दिया कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार "कर्मचारी" की परिभाषा को पूरा करता है, उसे समनुदेशित कार्य के निर्वहन के लिए पारिश्रमिक का संदाय किया जाता है तो ऐसा पारिश्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(22) के अनुसार "मजदूरी" की परिभाषा के अंतर्गत आएगा और इसलिए उस कर्मचारी के लिए आवश्यक अभिदाय का संदाय किया जाना होगा । विद्वान् काउन्सेल ने **सारस्वत फिल्म्स** बनाम **प्रादेशिक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, त्रिचूर**[2] वाले मामले में के विनिश्चय का भी अवलंब लिया । इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान् काउन्सेल ने आक्षेपित निर्णय का इन निवेदनों के साथ सम्यक् रूप से समर्थन किया कि प्रस्तुत मामले के तथ्य **एपेक्स इंजीनियरिंग** (उपर्युक्त) वाले मामले में के तथ्यों से भिन्न हैं चूंकि उस मामले में, कंपनी के एक निदेशक को 1,000/- रुपए

---

[1] (1998) 1 एस. सी. सी. 86 = 1997(77) एफ. एल. आर. 878 = एम.एच.एल.आर. 1990 खंड 2, पृष्ठ 850.

[2] (2010) 11 एस. सी. सी. 553.

प्रतिमास के पारिश्रमिक पर प्रबंध निदेशक का कार्य सौंपा गया था और इस पारिश्रमिक के कारण उसे, साधारण निदेशक के रूप में अपने कृत्यों के अलावा, अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता था । विद्वान् काउन्सेल के अनुसार उक्त प्रबंध निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(9) के अधीन "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत आता था किन्तु प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी कंपनी के निदेशकों को कारखाने या स्थापन के कार्य में या उसके संबंध में मजदूरी पर नियोजित नहीं किया गया था और इसलिए वे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(9) के आवश्यक घटकों के भीतर नहीं आते थे ।

7. परस्पर-विरोधी दलीलों पर विचार करने के पश्चात् और लागू विधि के प्रतिनिर्देश से अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, हमारा यह स्पष्ट मत है कि आक्षेपित आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है और प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 75 के अधीन फाइल किया गया आवेदन खारिज किया जाना चाहिए ।

8. अंतर्वलित प्रश्न के अवधारण के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) में यथा-अंतर्विष्ट "कर्मचारी" की परिभाषा का विस्तार से उल्लेख करना उचित होगा जो कि निम्नलिखित रूप में है :–

> "2(9) "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे कारखाने या स्थापन में, जिसे यह अधिनियम लागू है, या उसके काम के संबंध में मजदूरी पर नियोजित है, और –
>
> (i) जो उस कारखाने या स्थापन के किसी काम पर, या उस कारखाने या स्थापन के काम के आनुषंगिक या प्रारंभिक या उससे संबद्ध किसी काम पर, प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित है, चाहे ऐसा काम कर्मचारी द्वारा कारखाने या स्थापन में किया जाता हो या अन्यत्र; अथवा
>
> (ii) जो अव्यवहित नियोजक द्वारा या उसके माध्यम से कारखाने या स्थापन के परिसर में या प्रधान नियोजक या उसके अभिकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन ऐसे काम पर

नियोजित है जो मामूली तौर पर कारखाने या स्थापन के काम का भाग है या जो कारखाने या स्थापन में किए जाने वाले काम का प्रारंभिक है या उस कारखाने या स्थापन के प्रयोजन का आनुषंगिक है; अथवा

(iii) जिसकी सेवाएं प्रधान नियोजक को उस व्यक्ति द्वारा अस्थायी रूप में उधार या भाड़े पर दी गई हैं, जिसके साथ उस व्यक्ति ने जिसकी सेवाएं इस प्रकार उधार या भाड़े पर दी गई हैं, कोई सेवा-संविदा कर रखी है ।

और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो कारखाने या स्थापन के या उसके किसी भाग, विभाग या शाखा के प्रशासन से या उस कारखाने या स्थापन के लिए कच्चे माल के रूप में या उसके उत्पादों के वितरण या विक्रय से संबंधित किसी काम पर मजदूरी पर नियोजित हो या शिक्षु के रूप में रखा गया कोई ऐसा व्यक्ति जो शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन रखा गया शिक्षु नहीं है और इसके अंतर्गत शिक्षु के रूप में लगा हुआ ऐसा व्यक्ति भी है, जिसकी प्रशिक्षण अवधि किसी समय काल तक विस्तारित की गई है, किन्तु इसके अंतर्गत –

(क) भारतीय नौसेना, सेना या वायुसेना का कोई सदस्य, अथवा

(ख) इस प्रकार नियोजित ऐसा व्यक्ति जिसकी मजदूरी (अतिकालिक काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) ऐसी मजदूरी से अधिक हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा एक मास के लिए विहित की जाए :

परन्तु ऐसा कर्मचारी, जिसकी मजदूरी (अतिकालिक काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) अभिदाय-कालावधि के आरंभ के पश्चात् (न कि पूर्व) किसी भी समय ऐसी मजदूरी से अधिक हो जाए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, उस कालावधि के अंत तक कर्मचारी बना रहेगा ।"

9. "मजदूरी" अभिव्यक्ति को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (22) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है :–

> "2(22) "मजदूरी" से वह सभी पारिश्रमिक अभिप्रेत हैं जो किसी कर्मकार को नियोजन की संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों की पूर्ति हो जाने पर, नकद संदत्त किया गया हो या नकद संदेय होता और इसके अंतर्गत किसी प्राधिकृत छुट्टी की तालाबन्दी की, ऐसी हड़ताल की, जो अवैध नहीं है, या कामबंदी की किसी भी कालावधि की बाबत किसी कर्मचारी को दिया गया संदाय और अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, यदि कोई हो, आता है जो दो मास से अनधिक के अंतरालों पर दिया गया हो किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते –
>
> (क) नियोजक द्वारा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में या इस अधिनियम के अधीन संदत्त कोई अभिदाय;
>
> (ख) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा-रियायत का मूल्य;
>
> (ग) नियोजित व्यक्ति को ऐसे विशेष व्यय चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि जो उसे अपने नियोजन की प्रकृति के कारण उठाने पड़ते हैं; अथवा
>
> (घ) उन्मोचन पर संदेय कोई उपदान ।"

10. इस न्यायालय ने **सारस्वत फिल्म्स** (उपर्युक्त) वाले मामले में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) में यथा-अंतर्विष्ट "कर्मचारी" की परिभाषा के विस्तार को निम्नलिखित शब्दों में प्रतिपादित किया है :–

> "6. धारा 2(9) के उपबंध से यह स्पष्ट होता है कि यह परिभाषा व्यापक और विस्तृत प्रकृति की है । इसके अंतर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आता है, जो किसी ऐसे स्थापन में, जिसे यह अधिनियम लागू है, या उसके काम के संबंध में मजदूरी पर नियोजित है, और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है, जो

अव्यवहित नियोजक द्वारा या उसके माध्यम से स्थापन के परिसर में या प्रधान नियोजक या उसके अभिकर्ता के अधीन ऐसे काम पर नियोजित है जो मामूली तौर पर स्थापन के काम का भाग है या जो स्थापन में किए जाने वाले काम का प्रारंभिक है या उस स्थापन के प्रयोजन का आनुषंगिक है । खंड (iii) में स्थिति को और भी स्पष्ट किया गया है; ऐसे किसी व्यक्ति को भी, जिसकी सेवाएं प्रधान नियोजक को उस व्यक्ति द्वारा अस्थायी रूप में उधार या भाड़े पर दी गई हैं, जिसके साथ उस व्यक्ति ने जिसकी सेवाएं इस प्रकार उधार या भाड़े पर दी गई हैं, कोई सेवा-संविदा कर रखी है, कानून के कार्यक्षेत्र के भीतर लाया गया है । "प्रधान नियोजक" और "अव्यवहित नियोजक" अभिव्यक्तियों की परिभाषाओं के पठन मात्र से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि इस मामले में अपीलार्थी ही सुरक्षा गार्डों का प्रधान नियोजक है । यह हो सकता है कि उनका अव्यवहित नियोजक वह सुरक्षा एजेंसी हो, जिसके साथ सिनेमा हाल के पट्टाकर्ता या पट्टेदार ने सेवा के प्रयोजनार्थ संविदा कर रखी हो । सुसंगत कानूनी उपबंधों का ऋजुतापूर्वक पठन करने पर और उस उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए विधान अधिनियमित किया गया था, हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में सुरक्षा गार्ड अधिनियम की धारा 2(9) में यथा-परिभाषित "कर्मचारी" अभिव्यक्ति के कार्यक्षेत्र के भीतर आते हैं ।"

11. **एपेक्स इंजीनियरिंग** (उपर्युक्त) वाले मामले में, प्रत्यर्थी-कंपनी के निदेशक-बोर्ड ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि उसके निदेशकों में से एक निदेशक को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में निर्वाचित किया जाए और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए उसे 12,000/- रुपए वार्षिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाए । प्रश्न यह था कि क्या उक्त प्रबंध निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(9) के अर्थान्तर्गत "कर्मचारी" था ? यद्यपि उच्च न्यायालय और कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर निगम के विरुद्ध दिया था किन्तु इस न्यायालय ने अपील मंजूर कर ली और अन्य बातों

के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि प्रबंध निदेशक, जब उसे प्रधान नियोजक माना जाए तब वह कर्मचारी भी हो सकेगा और ऐसी दोहरी हैसियत रख सकेगा । इस न्यायालय ने निम्न प्रकार कथन किया :–

> "8. किन्तु यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि श्री धनवते के बारे में यह कहा जा सकता था कि वह प्रधान नियोजक है, फिर भी अधिनियम में यह उपदर्शित करने के लिए कोई बात नहीं है कि कोई प्रबंध निदेशक प्रधान नियोजक होते हुए एक कर्मचारी भी नहीं हो सकता है । दूसरे शब्दों में, उसकी दोहरी हैसियत हो सकती है ।...."

इस न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के निर्वचन का भी निम्नलिखित शब्दों में अनुमोदन किया :–

> "13. कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने प्रादेशिक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम **बनाम** मार्ग्रेन एंड रिफाइंड ऑयल कंपनी (प्रा.) लिमिटेड [1984 लेबर एंड इंडस्ट्रियल केसेज़ 844 = (1983) 2 एल. एल. एन. 918(कर्नाटक)] वाले मामले में वही दृष्टिकोण अपनाया जिसका हमने प्रस्तुत कार्यवाहियों में अवलंब लिया है । उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रबंध निदेशक अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) द्वारा यथा-परिभाषित कर्मचारी था । इस संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति और एक निगमित इकाई है और इस प्रकार वह अपने किसी एक निदेशक को प्रबंध निदेशक के रूप में नियोजित कर सकती है । अधिनियम के अंतर्गत आने वाला कंपनी का प्रबंध निदेशक अधिनियम की धारा 2(9) के अर्थान्तर्गत कंपनी का कर्मचारी बन जाता है और उन कृत्यों के लिए जिसका निर्वहन वह प्रबंध निदेशक के रूप में करता है, उसे संदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक कर्मचारी के अभिदाय की संगणना करने के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 2(22) के

अधीन यथा-परिभाषित मजदूरी की कोटि में आएगा । उच्च न्यायालय के उपर्युक्त विनिश्चय में अधिनियम के सुसंगत उपबंधों का निर्वचन सही रूप में किया गया है ।"

इस न्यायालय ने अन्य उद्धृत विनिश्चयों का सर्वेक्षण करने के पश्चात्, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया :–

"19. उपर्युक्त विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, यह अवश्य ही अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने प्रस्तुत मामले के तथ्यों के आधार पर यह दृष्टिकोण अपनाकर गलती की थी कि श्री धनवते, कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) के अर्थान्तर्गत कर्मचारी नहीं था । दूसरी ओर, यह अवश्य ही अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह कंपनी का एक कर्मचारी था और इसलिए उसका नाम शेष 19 कर्मचारियों की सूची में जोड़ा जा सकता था जिससे कि स्थापन को अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (12) के अंतर्गत लाने के लिए कुल योग 20 हो जाए, जिसमें "कारखाना" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि उससे अभिप्रेत है, "ऐसा परिसर, जिसके अंतर्गत उसकी ऐसी प्रसीमाएं भी हैं –

(क) ....., या

(ख) जिसमें बीस या अधिक व्यक्ति मजदूरी के लिए नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन नियोजित थे और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता के बिना कोई विनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है या मामूली तौर से इस प्रकार की जाती है ।"

12. हमारा यह स्पष्ट मत है कि इस न्यायालय द्वारा **एपेक्स इंजीनियरिंग** (उपर्युक्त) वाले मामले में प्रबंध निदेशक के संबंध में जो कुछ मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है, वह कंपनी के निदेशक के संबंध में तब अत्यधिक बलपूर्वक लागू होता है,

यदि उसे सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसे पारिश्रमिक का संदाय किया जाता है ।

13. यह अवेक्षा की गई है कि प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी निगम ने अपने तारीख 6 अप्रैल, 2005 के आक्षेपित आदेश में विनिर्दिष्ट रूप से यह प्राख्यान किया है कि कंपनी के निदेशकों को 3,000/- रुपए प्रति मास की दर पर पारिश्रमिक का संदाय किया जा सकता था और वे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत आते थे और इसलिए उन्हें संदत्त की गई रकम के संबंध में अभिदाय संदेय था । आश्चर्यजनक रूप से, प्रत्यर्थी कंपनी ने, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 75 के अधीन कार्यवाहियों के रूप में तारीख 6 अप्रैल, 2005 के उपर्युक्त आदेश को चुनौती देने की ईप्सा करते समय न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य पेश न करने का विकल्प अपनाया । अतः, अपीलार्थी-निगम की ओर से अपने तारीख 6 अप्रैल, 2005 के आदेश में जिन तथ्यों पर बल दिया गया है, उनका खंडन करने के लिए अभिलेख पर कोई बात नहीं है बल्कि उक्त आदेश में किए गए तथ्यात्मक प्राख्यान अखंडनीय रहे । प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा तारीख 6 अप्रैल, 2005 के आदेश को केवल इस दलील के आधार पर प्रश्नगत किया गया था कि निदेशक "कर्मचारी" प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं किन्तु यह दर्शित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि उसके निदेशकों को संदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (22) द्वारा समनुदेशित अर्थान्वयन के अनुसार "मजदूरी" के कार्यक्षेत्र के भीतर कैसे और क्यों नहीं आएगा ?

14. कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने **एपेक्स इंजीनियरिंग** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को केवल इस तथ्य के प्रतिनिर्देश से प्रभेदित करने का सरसरी प्रयास किया कि उस मामले में प्रबंध निदेशक द्वारा रकम प्राप्त की जा रही थी । दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के उक्त विनिश्चय को अनदेखा कर दिया और केवल बम्बई उच्च न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया हालांकि बम्बई उच्च न्यायालय के निर्दिष्ट विनिश्चयों में की गई प्रतिपादनाओं को **एपेक्स इंजीनियरिंग** (उपर्युक्त) वाले विनिश्चय द्वारा

प्रभावी रूप से उलट दिया गया है जहां इस न्यायालय ने निश्चित निबंधनों में यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने यह मत अपनाकर गलती की थी कि कंपनी का प्रबंध निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(9) के अर्थान्तर्गत कर्मचारी नहीं था । उक्त विनिश्चय प्रस्तुत मामले को प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है और हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने यह उपधारित करके गलती की है कि किसी कंपनी का ऐसा निदेशक, जो उसे सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रयोजनार्थ कर्मचारी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ सकेगा । अपीलार्थी-निगम द्वारा जारी किए गए तारीख 6 अप्रैल, 2005 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था ।

15. उपर्युक्त कारणों से, यह अपील मंजूर की जाती है, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 75 के अधीन प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा फाइल किया गया आवेदन खारिज किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

ग्रो.